

भाकृ अनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27, मध्य मार्ग चण्डीगढ़-160 019 ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation Sector 27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160 019 Tel. (O) 0172 - 2659365, Fax: 0172 - 2650783



Email: soilcons_chd@yahoo.com website http://www.cswcrtiweb.org

पत्रांक 7(7)/2024-25/Store/Chd/

दिनांक: 13.05.2025

नीलामी सूचना

कृपया यह सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ द्वारा संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, मनसा देवी पर स्थित फलदार वृक्षों से प्राप्त होने वाले फलों की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 03 जून 2025 (मंगलबार) को प्रातः 11:00 बजे संपन्न कराई जाएगी। इच्छुक ठेकेदार/बोलीदाता दिनांक 03.06.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच पंजीयन कराकर इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।/ It is hereby informed that ICAR - Indian Institute of Soil and Water Conservation, Research Centre, Sector 27-A, Madhya Marg, Chandigarh, will conduct an open auction for the sale of fruits obtained from fruit-bearing trees located at the institute's research farm, Mansa Devi, on Tuesday, June 3, 2025, at 11:00 AM. Interested contractors/bidders can participate in the auction by registering themselves between 10:00 AM and 11:00 AM on June 3, 2025.

इच्छुक बोलीदाता दिनांक से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 09:00 से सायं 05:00 बजे तक अनुसंधान प्रक्षेत्र, मनसा देवी आकर फलों का निरीक्षण कर सकते हैं।/Interested bidders may inspect the fruits at the research farm, Mansa Devi, on any working day prior to the auction, between 09:00 AM and 05:00 PM.

फल की प्रजाति	स्थान का विवरण	वृक्षों की संख्या	फल तोड़ने की अवधि
आवला एन.ए7	ए-1 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 107; बी-2 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 62; NATP वाटरशेड 98; वैज्ञानिक भवन 1; प्लांट नर्सरी 2 तथा साल्ट वाटरशेड 12	282	31 जनवरी, 2026 तक
आवला बनारसी	ए-2 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 97 एवं ए-3 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 68	165	
आवला चकैया	बी-3 एवं बी-4 प्लॉट सुकेत ब्लॉक	143	
DRIG EN CASTERIOR	कुल आवले के वृक्ष	590	
किन्नु	सुकेत ब्लॉक ३९; तथा वैज्ञानिक भवन ३	42	
करोंदा	ए-1 प्लॉट की बाउंडरी तथा NATP वाटरशेड	60	
अमरूद	साल्ट वाटरशेड 109; NATP वाटरशेड 54; प्रक्षेत्र कार्यालय के नजदीक 16; सुकेत ब्लॉक 7; वैज्ञानिक भवन 5; तथा प्लांट नर्सरी 2	193	30 अप्रैल, 2026 तक
बेर	सी-3, सी-4 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 105; तथा ई, एफ प्लॉटस सुकेत ब्लॉक 73	178	
बेल	ए-4 प्लॉट सुकेत ब्लॉक	44	
चीकू	सुकेत ब्लॉक	17	
सहजन	सुकेत ब्लॉक मे बिभिन्न स्थान पर	05	
हरड़	NATP वाटरशेड	50	

आम हिंदु	सुकेत ब्लॉक मे बिभिन्न स्थान पर 10; NATP वाटरशेड 23; प्लांट नर्सरी 7; ट्रैनिंग हॉस्टल एवं प्रक्षेत्र कार्यालय 2; शक्ति माता मंदिर के पास देशी आम 3	45	30 सितंबर, 2025 तक
लीची	प्लांट नर्सरी 2	5	
कटहल	प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर	1	
जामुन	सुकेत ब्लॉक हट 1; शक्ति माता मंदिर के पास 7	08	

फलों को तोड़ने की शर्तें निम्नानुसार होंगी/Terms and Conditions for Fruit Harvesting are as follows:

1. नीलामी कार्य संस्थान की गठित समिति द्वारा संपन्न किया जाएगा।/The auction process will be conducted by a committee constituted by the institute.

2. पंजीयन हेतु ₹3000/- जमा करवाने होगी। / ₹3000/- will have to be deposited for

registration.

3. पंजीयन के समय बोलीदाता को अपना बैंक विवरण, पैन नंबर, आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।/At the time of registration, the bidder must submit their bank details, PAN card, and a copy of their Aadhaar card.

4. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष 75% राशि तीन किस्तों में जमा की जा सकती है।/The successful bidder must immediately deposit 25%

of the bid amount. The remaining 75% can be paid in three installments.

5. प्रथम किस्त फल तोड़ने से पूर्व, द्वितीय किस्त तीन माह पश्चात, तथा अंतिम किस्त उसके तीन माह बाद देनी होगी। देरी की स्थिति में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।/ The first installment must be paid before harvesting, the second installment after three months, and the final installment three months thereafter. In case of delay, the deposited amount will be forfeited.

6. एक झुग्गी बनाने की अनुमित होगी जो आंवला या बेर के बगीचे में ही लगाई जा सकेगी। फार्म गेट पर झुग्गीसामान रखने की अनुमित नहीं होगी।// Permission will be granted to construct one hut, which must be set up within the Amla or Ber orchard. No hut or goods will be allowed near the farm gate.

7. फार्म परिसर में जानवर रखने की अनुमित नहीं होगी।/ Keeping animals inside the farm

premises is strictly prohibited.

8. सुरक्षा हेतु केवल 1-2 व्यक्तियों को ही रात्रि में रुकने की अनुमति होगी। परिवार रखने की अनुमित नहीं होगी। / For security, only 1-2 persons will be allowed to stay overnight. Family

members will not be allowed to stay.

- 9. झुग्गी में बिजली कनेक्शन की अनुमित नहीं होगी, हालांकि सुकेत ब्लॉक मे एक स्थान पर चार्जिंग हेतु सुविधा प्रदान की जा सकती है।/Electricity connection will not be permitted in the hut; however, charging facilities will be provided at one designated location in the Suket Block.
- 10. कर्मचारियों के पहचान पत्र अनिवार्य होंगे। किसी भी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में क्षितिपूर्ति ठेकेदार से वसूल की जाएगी।/ Identity cards of all workers are mandatory. In case of damage to any government property, compensation will be recovered from the contractor.
- 11. फलों की देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। दवा व पानी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन छिड़काव, तुड़ाई, मजदूरी आदि ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।/The contractor will be responsible for the care and security of the fruits. Pesticides and

water will be provided by the institute, but spraying, harvesting, labor, etc. will be the contractor's responsibility.

12. प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।/ The institute will not be

responsible for any loss due to natural calamities

13. फलों को कार्यालय से बाहर ले जाने का समय 09:30 बजे से 05:00 बजे तक सीमित रहेगा। /The fruits may be taken out of the office premises only between 09:30 AM and 05:00 PM.

14. फलों के अतिरिक्त किसी भी सरकारी सामग्री को बाहर ले जाना पूर्णतः वर्जित है। उल्लंघन की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा नीलामी रद्द कर दी जाएगी।/ Taking any government property other than fruits outside is strictly prohibited. Violation will result in legal action and cancellation of the auction.

15. ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। / If any of the contract terms are violated, the contract will be terminated,

and the deposited amount will be forfeited.

16. नीलामी को स्वीकृतरद्द करने का अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा/। / The authority to

approve or cancel the auction rests with the Head of the Centre.

17. विवाद की स्थिति में, पहले इसे पारस्परिक रूप से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा; अन्यथा, मामला संस्थान के निदेशक (मुख्यालय, देहरादून) को सौंपा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।/ In case of disputes, an attempt will first be made to resolve them mutually; otherwise, the matter will be referred to the Director of the Institute (Headquarters, Dehradun), whose decision will be final and binding.

18. न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति में चण्डीगढ़ न्यायालय का क्षेत्रार्धिकार मान्य होगा।/ In the event of

judicial proceedings, the jurisdiction shall lie with the courts of Chandigarh.

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

2.

 प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार), भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को cpp portal (e-publishing) पर upload करने हेतु।

प्रभारी, AKMU Cell, मनसा देवी, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को

cpp portal (e-publishing) पर upload करने हेतु।

3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय/नोटिस बोर्ड, अनुसंधान प्रक्षेत्र।